

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 23/07/2021

विषय : सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत कार्यालय को संचालित करने एवं आर०टी०पी०एस० केन्द्र खोलने तथा ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों को प्रतिनियुक्ति अन्यत्र नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग : अपर मुख्य सचिव-सह-मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-881 दिनांक-10.05.2019, विभागीय पत्रांक-3196 दिनांक 17.05.2019, विभागीय पत्रांक-8037 दिनांक 21.12.2020, विभागीय पत्रांक-1969 दिनांक 23.03.2021, पत्रांक 2621 दिनांक 15.06.2021 एवं पत्रांक 3030 दिनांक 29.06.2021

महाशय

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक कहना है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में सूचना प्रावैधिकी का उपयोग बढ़ाने और ग्राम पंचायत कार्यालय के कार्यों के प्रभावी प्रबंधन हेतु एक-एक कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-4045 दिनांक 25.07.2018 द्वारा निर्गत किया गया है।

2. विदित हो कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दी जानेवाली जाति, आय एवं आवासीय एवं अन्य प्रमाण-पत्र की सेवाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र देने तथा तैयार सेवाओं का डाउनलोड कर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए पंचायत सरकार भवनों/पंचायत कार्यालयों में RTPS केन्द्र स्थापित किये जाने का विभागीय निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को परिचारित है।

3. ऐसा ज्ञात हो रहा है कि ग्राम पंचायत कार्यालयों में नियोजित कार्यपालक सहायकों को ग्राम पंचायत से अन्य विभिन्न कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, जिसके कारण राज्य सरकार का अति महत्वपूर्ण कार्य लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दी जानेवाली सेवाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम पंचायतों में नियोजित कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति ग्राम पंचायत के बाहर नहीं किया जाये, ताकि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दी जानेवाली सेवाओं का कार्य प्रभावित न हो।

इसे अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन

24.7.21
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: 2५०/विविध-17-119/2018/3744/पं०रा० पटना, दिनांक: 23/07/2021
प्रतिलिपि: सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.7.21
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव